

फर्द अहकाम

बनाम रेखा

मनोज

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

15/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	17/01/25	पत्रावली पेश हुई। दस्तावेजों द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सके। पत्रावली दिनांक... 20/01/25 को पेश हो।
	20/01/25	पत्रावली पेश हुई। दस्तावेजों द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सके। पत्रावली दिनांक... 21/01/25 को पेश हो।
	21/01/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 व 4 की अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ता की आपत्ति-कुर्रेंजस प्रा-पत्र पर बहस पूर्व में सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करते एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रा-पत्र आपत्ति कुर्रेंजस रिपोर्ट प्रार्थना पर की गई बहस पर मनन करने के उपरान्त वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के अंतर्गत कुर्रेंजस रिपोर्ट पर प्रा-पत्र की अपील कर खासिज किया जाकर मुताबिक तहसीलदार बस्ती द्वारा पत्रां. नं. (2023) 816 दिनांक 24.01.2023 वादी का वाद अंतिम डिक्ली किमोजता दी विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल फिल ल किया गया। डिक्ली पर्या जारी है। पालनार्थ तहसीलदार

8

फर्द अहकाम

बनाम रेखा

मनीज

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

15/2024
आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही
-------------	---------------------------

बस्नी को इन आशय की तद्वरी जारी
है।
पत्रावली फैलल कुमार होकर बाद
तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर
से कम है।
यह निर्णय आज दिनांक 21/01/2025
को सरे इजलास में द्वा लिखा जाकर
सुनाया गया

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला-जयपुर

अंतिम डिकी मुकदमा इक्तादाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी शिप्रा जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर
वादीगण प्रतिवादीगण

बनाम

1. मनोज पुत्र श्रवण
 2. रमेशचन्द पुत्र श्रवण
 3. संजय पुत्र श्रवण
- समस्त जाति बैरवा, निवासी ग्राम सांभरिया, तह. बस्सी जिला जयपुर।

1. रेखा पुत्री श्रवण पत्नि सुरेश कुमार जाति बैरवा, निवासी शिप्रा पथ थाने के पीछे, अमरावती मार्ग, सैक्टर-7, तेजाजी मन्दिर के पास, खेजडे का पेड, बाढ देवरी, मानसरोवर, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तह. बस्सी, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक बस्सी, तह. बस्सी जिला जयपुर।
4. मदन पुत्र चन्दा, जाति बैरवा, निवासी ग्राम हनुमानपुरा, तह. बस्सी, जिला जयपुर।

दावा बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

मुकदमा नम्बर 15/2024 (240/2022)
जीसीएमएस नं. 2022/268

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा अंतिम रूप से डिकी किया जाता है तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे को अंतिम निर्णय व डिकी का जूज समझा जाकर पढा जायेगा। मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व ग्राम सांभरिया, भूअ.नि. क्षेत्र सांभरिया, तह. बस्सी जिला जयपुर की सरहद में स्थित वाद अधीन कृषि भूमि ख.नं. 502, 504, 504/1, 504/10, 504/11, 504/12, 504/13, 504/14, 504/15, 504/16, 504/17, 504/18, 504/19, 504/2, 504/20, 504/21, 504/3, 504/4, 504/5, 504/6, 504/7, 504/8, 504/9 कुल कित्ता 23 कुल रकबा 9.4838 हैक्टेयर का निम्न प्रकार विधिक विभाजन किया जाता है—

डिकी अनुसार प्रस्तावित नवीन प्रविष्टियां:—

क्र. सं.	नाम ग्राम	खाता संख्या	नवीन प्रविष्टियां	खसरा नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
1.	सांभरिया	1	मनोज पुत्र श्रवण हि0 1/3 राहिन, रमेशचन्द पुत्र श्रवण हि0 1/3, संजय पुत्र श्रवण हि0 1/3 जाति	502 504 504/10 504/11 504/12 504/13	0.0253 1.3277 0.3288 0.1391 0.1265 0.1517	गै0मु0 चाह बंजड-1 चाही-2 बंजड डोल बंजड डोल चाही-2	

			बैरवा सा० देह	504 / 14	0.1391	बारानी-1	
				504 / 15	0.2655	बारानी-1	
				504 / 16	0.1644	चाही-2	
				504 / 17	0.4426	चाही-2	
				504 / 18	0.7461	चाही-2	
				504 / 19	0.0253	बंजड डोल	
				504 / 20	0.2150	चाही-2	
				504 / 21	0.0379	बंजड डोल	
				504 / 3	0.5311	बंजड-1	
				504 / 4	0.3035	चाही-2	
						बंजड डोल	
				504 / 5	0.7713	बारानी-1	
				504 / 6	0.7966	बंजड-1	
				504 / 7	0.0126	चाही-2	
				504 / 8	0.3035	बंजड-1	
				504 / 9	0.2276	चाही-2	
				504 / 2 / 1	0.0318	बारानी-1	
			योग	22	7.1130		
2	सांभरिया	2	नवीन प्रविष्टियां	खसरा नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
		2	बैरवा सा० देह हाल निवासी शिप्रा पथ थाने के पीछे, अमरावती मार्ग, सैक्टर- रेखा पुत्री श्रवण पत्नि सुरेश कुमार जाति 7, तेजाजी मन्दिर के पास, खेजडे का पेड बाढ देवरी मानसरोवर जयपुर	504 / 1 504 / 2	1.0369 1.3339	बारानी-1 बारानी-1	
				2	2.3708	बारानी-1	

तथा तहसीलदार, बस्सी को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर प्रतिवादी सं. 4 का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा पक्षकारान् को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त विधिक विभाजन अनुसार एक-दूसरे के नाम से पृथक-पृथक रूप से खातेदारी प्रविष्टियां दर्ज करने के उरान्त एक-दूसरे की स्वतंत्र खातेदारी भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा, हस्तक्षेप, व्यवधान, मजाहत इत्यादि करने से निषेद्ध रहे तथा अपने-अपने परिवारजन, एजेण्ट, सर्वेण्ट व प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्ध रखे।.....निजी.....मुबलिक.....बाबत.....

६

.....खर्चा.....इस मुकदमे का मय सूद वगैरह.....फीसदी
सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 21.01.2025 को जारी किया गया।

मोहर

ओहदा.....

दस्तख्त
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला-जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो
या नहीं दर्ज करना चाहिए।

21/1/25
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण